राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ–8 / स.अ. / 2275 दिनांक : 24/03/2025

सार्वजनिक विज्ञप्ति संख्या 102 / 2024–25
जिम संचालन एवं रखरखाव की निविदा

सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर स्थित जिम के संचालन एवं रख–रखाव हेतु इच्छुक उपयुक्त व्यक्ति / एजेन्सी / फर्म से सील बन्द लिफाफों में एतद् द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर कार्यालय में दिनांक 26.03.2025 को प्रकाशित कर 02.04.2025 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेगीं तथा उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगीं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित बोली (प्रति वर्ष)	धरोहर राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Running, Operation and Maintenance of Gymnasium/Fitness Centre, SMS Stadium, Jaipur.	रूपये 180000 / –	3600 / –	रूपये 500 / –

निविदा प्रपत्र राजस्थान क्रीडा परिषद के मुख्यालय, जयपुर से कॉलम संख्या 5 में दर्शाये अनुसार नकद अथवा **"सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर"** के नाम देय बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवा कर प्राप्त किए जा सकते हैं या http://sppp.rajasthan.gov.in or www.rssc.in से प्राप्त की जा सकती हैं जिसके संबंध में निविदा प्रपत्र की राशि परिषद कोष में कॉलम संख्या 5 के अनुसार राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। उक्त निविदा पूर्णतः भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ कॉलम संख्या 4 व 5 में दर्शाये अनुसार राशि **"सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर"** के नाम जमा करवाये जाने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा। किसी भी निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा का सम्पूर्ण विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in & www.rssc.in पर देखी जा सकती है।

Signature valid

सचिव

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Deputy Secretary,** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan. The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary,** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second Appellate authority, as the case may be, in person or though registered post Or authorized representative.

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed Five percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

बोली की शर्तें

विशेष टिप्पणी :– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बोलीदाता को निविदा से संबंधित दस्तावेज ऑफ–लाईन प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा प्रकिया दो भागों (लिफाफों) में आयोजित की जावेगी :–
    1. बोलीदाता द्वारा **Part-A 'Technical Bid'** से संबंधित दस्तावेज जैसे–निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर मय सील, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति, धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क जमा आदि एक लिफाफे में प्रस्तुत करने होगें
    2. द्वितीय भाग **Part-B 'Financial Bid'** में शिड्यूल के अनुसार बोली प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोलीदाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे पर नहीं देगा।
4. विहित समय एवं तारीख के पश्चात् जो भी बोलियां प्राप्त होंगी उन्हें किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।
6. निविदादाता/फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में औसत वार्षिक टर्न ओवर 5.00 लाख से कम नही होना चाहिये। इस हेतु बोलीदाता को उक्त वर्षों का सीए से प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति मय यूडीआई नम्बर सहित संलग्न करनी होगी।
7. दरें समस्त करों यथा जी. एस. टी. या अन्य कोई कर सहित देनी होगी।
8. **संचालन एवं रख–रखाव कार्यों का विवरण :–**
    1. **जिम संचालन हेतु आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यय पर पुरूष/महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा।**
    2. **जिम हॉल की साफ–सफाई स्वयं के व्यय पर करना होगा, जिसमें मशीनरी, शौचालय, चैन्जिंग रूम एवं परिसर की साफ–सफाई के लिये बोलीदादाता उत्तरदायी होगा। सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा शास्ति आरोपित की जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।**
    3. **जिम संचालन के दौरान होने वाले विद्युत उपभोग राशि का भुगतान स्वंय के स्तर पर करना होगा।**
    4. **सफाई कार्य में प्रयुक्त वांछित सफाई सामग्री यथा फिनायल, फिनायल की गोलियां, एसिड, सफाई हेतु पाउडर, लिक्विड सोप की व्यवस्था बोलीदाता को अपने स्तर पर करनी होगी।**
    5. **सफाई करने के पश्चात कूडा करकट एवं कचरें को उचित स्थान पर निस्तारित किये जाना सुनिश्चित करेगें तथा उसे भवन परिसर के बाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।**
    6. **निविदा खोले जाने के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य होगी।**
9. उच्चतम संवेदक की अमानत राशि ठेका अवधि तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में अमानत राशि के रूप में जमा रहेगी। शेष संवेदकों की अमानत राशि निविदा प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् संबंधित संवेदक को कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त लौटा दी जावेगी।
10. संवेदक/फर्म को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी :–
    - उच्चतम संवेदक को बोली की सम्पूर्ण राशि दो किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त राशि में राशि का 1/2 LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी एवं द्वितीय किश्त 6 माह पश्चात जमा करवानी होगी, इसके पेटे प्रथम किश्त के साथ ही द्वितीय किश्त की शेष राशि के लिए अग्रिम चैक

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:23 IST
Reason: Approved

सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में परिषद कार्यालय में संलग्न कर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस संबंध में स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा द्वितीय किश्त समय पर जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में इन अग्रिम चैक का उपयोग कर लिया जावेगा अन्यथा इन्हें संवेदक को लौटा दिया जावेगा। संवेदक चाहे तो सम्पूर्ण राशि को सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में एकमुश्त भी जमा करवा सकता है।

- निर्धारित समय पर नियमानुसार ठेका राशि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक/फर्म की जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जावेंगी। साथ ही संवेदक/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

11. उच्चतम संवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इसके पश्चात् उच्चतम संवेदक के द्वारा दी गई बोली/नीलामी राशि पर कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय उच्चतम संवेदक को पत्र लिखा जावेगा। द्वितीय संवेदक द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में राशि LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में नियमानुसार कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि द्वितीय संवेदक द्वारा उच्चतम संवेदक की दरों पर कार्य करने की असहमति दी जाती है, तो पुनः निविदा जारी की जावेगी।

12. जिम हॉल के संचालन एवं ऑपरेशन का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा। प्रथम वर्ष की वित्तीय दरें प्रस्तुत की जावेगी जिसमें अधिकतम दरों के संवेदक को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय होगा। एक वर्ष पश्चात् संवेदक का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व संवेदक की आपसी सहमति से इस ठेके को बोली पर कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाकर अंतिम द्वितीय वर्ष के लिए (अर्थात् एक अतिरिक्त वर्ष के लिए) बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु संवेदक को ठेका समाप्ति से 3 माह पूर्व आवेदन करना होगा।

13. यदि ठेके को आगे द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है तो द्वितीय वर्ष की ठेका राशि दो समान किश्तों में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि कर जमा करानी होगी। प्रथम किश्त, प्रथम वर्ष की ठेका अवधि समाप्ति से 30 दिवस पूर्व जमा करानी होगी एवं द्वितीय किश्त 6 माह पश्चात जमा करानी होगी।
    - एक वर्ष की बोली राशि (प्रत्येक वर्ष की राशि को तीन किश्तों) में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कोष में जमा होने के पश्चात् आगे वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जावेगा।
    - निर्धारित समय पर ठेका राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक/फर्म की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेंगी। साथ ही, संवेदक/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

14. जिम हॉल में फिटनेस हेतु आने वाले वाले व्यक्तियों से सफल संवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगाः–

निर्धारित समय	**प्रति व्यक्ति से प्राप्त किये जाने वाला निर्धारित शुल्क**	**अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाडियों (खेलों संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता) हेतु (राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अनुमोदन के पश्चात)**
1 माह	1500/–	निःशुल्क
6 माह	6000/–	
12 माह	10000/–	

15. समय–समय पर राज्य सरकार/राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना करने हेतु संवेदक/फर्म बाध्य होगा।

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

16. संवेदक/फर्म निर्धारित दरों के अतिरिक्त कोई राशि वसूली नहीं कर सकेगा। उक्त अवैध वसूली की सत्य/प्रमाणित शिकायत पर निम्नानुसार अर्थदण्ड लगाया जावेगा :—

प्रथम शिकायत पर रू. 10,000/— द्वितीय शिकायत पर रू. 30,000/— तृतीय शिकायत पर रू. 50,000/—
नोटः— उपरोक्त स्थिति में तीसरी सत्य/प्रमाणित शिकायत पर संवेदक की संपूर्ण जमा राशियां जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

17. **बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त की जा सकती है :**

(क) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

(ख) जब निविदादाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नही करता है।

(ग) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूती राशि जमा नही कराता हो।

(घ) जब निविदादाता निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता है अथवा सन्तोषजनक सेवायें देने में असमर्थ रहता है।

18. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः**

(क) सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर एक 500/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (करार पत्र) निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित व्यय जिसके लिए निविदा स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि निविदा को स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से सात दिन में जमा करानी होगी।

(ख) निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।

(ग) प्रतिभूति राशि का परिषद द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(घ) प्रतिभूति राशि के रूप में नगद रसीद/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मान्य होंगे।

19. **प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त की जा सकती हैः—**

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के मामले में युक्ति युक्त नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में परिषद के अधिकारियों का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) कार्य के असफल रहने पर परिषद द्वारा तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उसमें जो भी अतिरिक्त व्यय होगा निविदादाता द्वारा पुर्नभरण किया जावेगा तथा उसकी प्रतिभूति राशि अथवा उसको देय भुगतान से समायोजनीय होगा। यदि वसूल करना संभव नही हो तो राजस्थान पी.डी. आर. एक्ट या प्रदत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। करार पत्र को पूर्ण एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुद्वा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

20. परिषद को किसी भी निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताये निविदा को रदद करने का अधिकार अपने पास आरक्षित होगा।

21. यदि संविदा के निर्णय आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में काई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद का निर्णय अन्तिम होगा एवं संवेदक को मान्य होगा।

22. बोलीदाता को जिम हॉल में पूर्णरूप से स्वच्छता रखनी [illegible] जाने अथवा बन्द पाये जाने पर शास्ती 1500/— रू प्रतिदिन होगी एवं बोलीदाता को [illegible] दिन का भुगतान भी देय नही होगा।

23. बोलीदाता द्वारा नियुक्त जिम प्रशिक्षक, सफाई कर्मचारियों [illegible] मजदूरी राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी [illegible] नही होगी। 18 वर्ष से कम आयु के कार्मिकों को नियोजित नहीं किया जावेगा तथा नियोजित कार्मिको की पूर्ण सूची मय फोटो, पते, पहचान व पुलिस वेरिफेकेशन परिषद को दी जावेगी।

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

24. जिम हॉल के भवनों, मशीनो एवं अन्य सामान को बोलीदाता किसी प्रकार का नुकसान नही पहुचाएगा ऐसा करते हुए पाए जाने पर परिषद नुकसान की वसूली बोलीदाता से नियमानुसार करेगा।

25. संचालन एवं रखरखाव के कार्य हेतु बोलीदाता परिषद के किसी भी अधिकारी कर्मचारी एवं उनके रिश्तेदारो का नही लगाएगा।

26. सत्र समाप्ति पर जिम के उपकरणों को अच्छी तरह सफाई करने एवं समस्त मशीनो को पूर्णरूप से चालित अवस्था में परिषद को संबंधित अधिकारी को सौंपना होगा।

27. उपरोक्त निविदा शर्तों में शिथिलता प्रदान करने एवं न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, रा0रा0क्री0प0 जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

28. बोली की शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेका बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है

29. सफल बोलीदाता को **कार्य आदेश जारी तिथि के 7 दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु बाध्य** होगा, अन्यथा आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के तहत पेनल्टी वसूलनीय होगी।

30. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा/अवधि से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगें परन्तु शर्त यह है, कि ऐसे पुर्नआदेश मूल रूप से प्रदान कार्य आदेश के 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त प्रदाय के लिए ही होगें।

31. **परिसमापित नुकसानी** :–

(1) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

32. **वसूली** :–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से सिक्योरिटी राशि में से की जाएगी। संचालनकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

33. **भुगतान** :–

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी [illegible] द्वारा [illegible] किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत [illegible] विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाये।

(ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी [illegible] जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निदेशों के अनुरूप हों।

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

34. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

35. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।

36. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें।

37. उपरोक्त निविदा से संबंधित प्रतिबंध एवं शर्ते, मैने/हमने पढ ली है और यह प्रतिबंध एवं शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा संचालन एवं रखरखाव के समस्त कार्यो की दरें मय सामग्री एवं रसायनो के हमने दी है।

38. मैं/हम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा जारी की गई इस बोली में वर्णित सभी शर्तों से तथा उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर इसमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

घोषणा

मैने/हमने सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर स्थित जिम के संचालन एवं रख–रखाव हेतु बोली के नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर स्थित जिम के संचालन एवं रख–रखाव हेतु सहमत एवं वचनबद्व हूँ/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी बोली की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व बोली के नियम/शर्तो के उल्लंधन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर बोलीदाता..
नाम/पता ....
....
टेलीफोन नं. ....
दिनांक ....

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

UNDERTAKING BY THE BIDDER

This is to certify that I/we before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them. I/We have signed all the pages in acceptance of the terms and conditions.

I/We also undertake that I/We will not adopt any malpractices at any stage of bidding/execution.

Signature of the Bidder with Seal
Name: Designation:
Address:

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,
{Tendering Authority},
________________________,
________________________,

I/ We…………………………………………………………………………..{Name/Designation} hereby declare/ certify that ……….........
…………………………………………………………………………………………....
………………………………..... {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with Tender with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR.

He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorized Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date:
Place:

Verified Signature:

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

कार्य का नाम :– सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर स्थित जिम के संचालन एवं रख–रखाव हेतु।

संवेदक/फर्म/व्यक्ति का नाम व पता..

..

क्र0 सं0	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या जिस पर संलग्न है
1.	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया।		
2.	तकनीकी बिड़ के निविदा, टेण्डर प्रक्रिया एवं अमानत राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. संलग्न है।		
3.	संवेदक/फर्म/व्यक्ति का जिम संचालन से संबंधित पंजीयन की छाया प्रति		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।		
5.	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।		
6.	संवेदक/फर्म/व्यक्ति का औसत टर्नओवर (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 5.00 लाख का होना आवश्यक है। सीए द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
7.	अन्य कोई दस्तावेज जो संवेदक संलग्न करना चाहता है।		

संवेदक/फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर
मय सील

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved

Please Submit this in separate envelope

Part-B 'Price Bid'

Name of Work :- सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर स्थित जिम के संचालन एवं रख–रखाव हेतु।			
S. No.	**Particulars**	**Year**	**Quoted Rate by Contractor**
1	सवाई मानसिंह स्टेड़ियम जयपुर स्थित जिम के वार्षिक संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रस्तुत दर।	1 Year	

नोट :– मेरे द्वारा जिम हॉल का निरीक्षण (मशीनरी/उपकरणों की जांच करने के उपरान्त) स्वयं के स्तर पर करने के उपरान्त दरें प्रस्तुत करता हूँ।

Seal and Signature of
Contractor/Person/Firm

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Secretary
Date: 2025.03.24 17:59:22 IST
Reason: Approved